Schedule XLII-High Court (J) 19[old (M)164]

अनुमन्डल न्यायालय–असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) बनमनखी, पूर्णियाँ, बिहार

समक्ष– सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

स्वत्व वाद सं.– 11/2016 सी.आई.एस.क्र.– 14311/2016

विनोद कुमार शर्मा बनाम दीपक यादव

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
23.05.2025	वादी एवं प्रतिवादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजरी है। प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने हेतु समयावेदन है जिसे स्वीकृत किया जाता है। यह वाद प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 23.04.2025 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन को संचालित कर प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है कि प्रतिवादी की ओर से दिनांक 23.04.2025 को स्वत्व वाद सं0 105/2010 के वाद पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेज की प्रमाणित प्रति पूर्व में प्रतिवादी को प्राप्त न होने के कारण प्रतिवादी उसे नियत समय में प्रस्तुत नहीं कर सका है। अतः विनम्र निवेदन है कि उक्त दस्तावेज को प्रस्तुत किये जाने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाये। वादी की ओर से उक्त आवेदन का प्रतिउत्तर प्रस्तुत कर आपत्ति व्यक्त किया गया है कि प्रतिवादी के द्वारा जानबूझ करके उक्त दस्तावेज को नियत समय के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिस कारण से प्रतिवादी का यह आवेदन खारिज किये जाने योग्य है। उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि दिनांक 23.04.2025 को साक्ष्य के दौरान प्रतिवादी के द्वारा स्वत्व वाद सं0 105/2010 के वाद पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेज की प्रमाणित प्रति पूर्व में प्राप्त न होने के कारण प्रतिवादी नियम समय के भीतर प्रस्तुत नहीं कर सका है। प्रतिवादी के द्वारा दर्शित विलंब का कारण समाधानपरक प्रतीत होता है। वाद के प्रभावी एवं न्यायपूर्ण निराकरण के लिये उभय पक्ष के दस्तावेज को अभिलेख पर लाया जाना न्यायसंगत है। अतः प्रतिवादी के उक्त आवेदन को **स्वीकृत** कर उक्त दस्तावेज को प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। वाद आगामी दिनांक 13.06.2025 वास्ते प्रतिवादी साक्ष्य। हस्ताक्षर ह0/– अ.सै.न्यायाधीश वरीय कोटि बनमनखी, पूर्णियाँ	